राजस्थान सरकार
पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

ठेकेदार श्याम सिंह के ब्लाईंड मर्डर का खुलासा, अभियुक्त गिरफ्तार

जयपुर, 13 सितम्बर। पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) श्री कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि दिनांक 23 व 24 अगस्त 2017 के मध्य की रात्रि में जवाहर सर्किल के पास प्लाट संख्या ए–444 सिद्धार्थ नगर जयपुर पर ठैकेदार श्याम सिंह चौहान की रात्रि में सोते समय अज्ञात व्यक्ति ने गला रेतकर हत्या कर दी थी। घटना के दिन से ही सभी संदिग्ध लोगो से पूछताछ कर व तकनीकी विश्लेषण कर पुलिस सभी बिन्दूओ पर अनुसंधान कर अज्ञात अभियुक्त का पता लगाने का प्रयास कर रही थी।

इस हेतु अति0 पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व श्री हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देशन में सहायक पुलिस आयुक्त मालवीय नगर श्री दिनेश शर्मा व अनुसंधान अधिकारी राजेश कुमार सोनी थानाधिकारी थाना जवाहर सर्किल के नेतृत्व में टीम गठित कर विभिन्न कोणो से अनुसंधान किया जा रहा था।

घटना के बाद से ही मृतक ठैकेदार श्याम सिंह चौहान के पास काम करने वाले सभी मजदूर व कर्मचारियो से विस्तृत अनुसंधान करने पर यह तथ्य सामने आया था कि श्याम सिंह के पास उत्तर प्रदेश निवासी सुनील कुमार यादव पुत्र श्री रामवीर सिंह जाति यादव उम्र 22 साल निवासी नंगला ठकुरी नंगला बलवा के पास थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद दिनांक 12.08.2017 से काम कर रहा था जो कि घटना वाले दिन दिनांक 23.08.2017 को प्रातः करीब 10 बजे गॉव जाने की कहकर अपनी मजदूरी के पैसे प्राप्त कर चला गया था।

सुनील भी मृतक श्याम सिंह के पास ही रहता था तथा उसी के कमरे में सोता था। घटना के बाद पूछताछ हेतु सुनील की तलाश की गई तो सुनील का मोबाईल फोन बंद हो गया तथा सुनील घर पर भी नही पहुॅचा तथा यह जानकारी मिली कि सुनील यादव आपराधिक प्रवृति का लडका है जिसके पूर्व से भी मुकदमे दर्ज है। जिसकी लगातार तलाश की जा रही थी। श्री सुखवीर सिंह एएसआई के नेतृत्व में टीम गठित कर पुनः उत्तर प्रदेश भेजी गई व तलाश कर सुनील यादव को जयपुर लाकर सख्ती से पूछताछ की गई तो सुनील द्वारा ही ठैकेदार श्याम सिंह चौहान की हत्या करना स्वीकार किया। जिस पर अभियुक्त सुनील यादव को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। जिसे कल न्यायालय में पेश किया जावेगा।

पैसो के लालच में की गई हत्या–अभियुक्त सुनील यादव ने पूछताछ पर बताया कि मृतक ठैकेदार श्याम सिंह चौहान के पास काम करते समय उसने 2–3 बार श्याम सिंह के पास 500–500 के नोटो की गड्डी देखी थी तथा घटना के एक दिन पहले भी मृतक के पास नोटो की गड्डियां देखी थी। इस कारण उसके मन में लालच आ गया मृतक पैसे या

तो कपडो में जेब में रखता था या सोते समय सिराहने के नीचे रखता था यह बात सुनील को ध्यान थी।

इसी कारण घटना के दिन अभियुक्त गॉव जाने की कहकर वहॉ से निकल गया, परन्तु गॉव नही गया व दिन भर जवाहर सर्किल के आस–पास दुर्गापुरा, तारो की खूॅट आदि जगह घूमता रहा व रात्रि होने का इंतजार करता रहा। इस दौरान अभियुक्त ने चाकू भी खरीदा व रात्रि होने पर पहले शराब पी ,फिर एक ढाबे पर खाना खाया व मृतक श्याम सिंह के सोने के समय के आस–पास करीब 10–10.30 बजे से ही मकान के आस–पास घुमने लगा टीवी चलने के आवाज सुनकर मकान के थोडी दूर झाडियो में छिपकर बैठ गया व जब आस–पास गाडिया निकलना बंद हो गई व मृतक के कमरे की लाईट बंद हो गई तो साईड से बाउण्ड्री कूद कर मृतक के कमरे में घूसा व खूॅटी पर टंगे मृतक के कपडो की तलाशी ली कोई पैसे नही मिले तो सिराने के निचे की तलाशी व मृतक के गले की सौने की चैन लेने के लिए चाकू से मृतक का गला काट दिया परन्तु मृतक एकदम से खडा हो गया जिससे अभियुक्त पहचान होने व पकडे जाने के डर से घबरा कर तुरन्त वहॉ से भाग गया व गिरफ्तारी के डर से फरार हो गया।

प्रेम प्रसंग के चलते थी पैसो की आवश्यकता–अभियुक्त सुनील यादव का अपने गॉव में पडौस में रहने वाली महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसके चलते प्रतिदिन सुनील की महिला से बात होती थी गॉव जाते समय अभियुक्त को मृतक ठैकेदार श्याम सिंह द्वारा मजदूरी के 1000 रूपये दिये थे जबकि उसे अधिक पैसो की आवश्यकता थी। इसी कारण अभियुक्त दिनभर घूमता रहा व रात्रि होने पर घटना कर के अधिक पैसे ले जाने की योजना बनाई।

गठित टीम–श्री धर्मराज उ0नि0, श्रीसुखवीर सिंह सहायक उप निरीक्षक, कानि बनवारी, गुडडु, भरतलाल, रवि शंकर एवं राकेश कुमार कानि तकनिकी शाखा कार्यालय पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व।

अभियुक्त का आपराधिक रिकार्डः–

1. मुकदमा नम्बर 37/13 धारा 376 आईपीसी व पोक्सो अधिनियम थाना जसवंतनगर जिला ईटावा उत्तरप्रदेश
2. मुकदमा नम्बर 132/13 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना जसवंतनगर जिला ईटावा उत्तरप्रदेश

अभियुक्त के विरूद्ध नाबालिग से बलात्कार व समाज विरोधी किया कलाप अधिनियम के तहत उक्त प्रकरण दर्ज है जिसमें अभियुक्त 13 माह जेल में रहा है।